बाल गवाह से व्यवहार कैसे करे

लेखक- सदाफ मोदक (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

17 फरवरी, 2020

"अभी हाल ही में बीदर के एक स्कूल में राजद्रोह के मामले में पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की। इस आलेख में हम बच्चों से पूछताछ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जानेंगे? साथ ही हम जानेंगे कि इस मुद्दे पर और बाल गवाहों पर भारतीय कानून क्या कहता हैं?"

पुलिस द्वारा कर्नाटक के बीदर के एक स्कूल पर देशद्रोह का आरोप लगाये जाने के दो हफ्तों के बाद, जहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के एक नाटक का मंचन किया गया था, ज्यादातर ध्यान उन्हीं रिपोर्टों पर रहा है जिनमें पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की थी।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए कर्नाटक राज्य आयोग ने बच्चों से बार-बार पूछताछ सहित उल्लंघन के लिए जिला पुलिस को फटकार लगाई है। इसके अलावा, कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच की माँग की गई, जिन्होंने कथित तौर पर माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना 9 से 12 वर्ष की आयु के शाहीन स्कूल के बच्चों से पूछताछ और वीडियो-रिकॉर्ड की थी। पीआईएल ने शाहीन एलुमनाई एसोसिएशन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों से बंदूकधारी पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की थी, जिससे बच्चों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हो गया था।

जनहित याचिका ने किशोर न्याय अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही में नाबालिगों से पूछताछ के लिए पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है। इस आलेख में हम जानेंगे कि भारत में कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों ने बच्चों पर सवाल उठाने के मुद्दे को कैसे संबोधित किया है? साथ ही यह भी जानेंगे कि बच्चों को गवाह बनाए जाने के लिए सुरक्षा उपाय क्या हैं?

इन स्थितियों में बच्चों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या है?

भारत 1992 से बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसे 1989 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाया गया था। कन्वेंशन में कहा गया है कि "बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, चाहे वह सार्वजनिक या निजी सामाजिक कल्याण संस्थानों के तहत् हों, अदालतों द्वारा हों, प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी निकायों द्वारा हों, बच्चे के सर्वोत्तम हित पर प्राथमिक ध्यान दिए जाएंगे।"

2009 में, संयुक्त राष्ट्र: अपराध में बाल पीड़ितों और गवाहों को शामिल करते हुए न्याय मॉडल कानून ने बाल गवाहों के संदर्भ में दिशानिर्देशों का अधिक विशिष्ट सेट प्रदान किया है। ये दिशा-निर्देश सुझाते हैं कि अधिकारियों द्वारा बच्चों के साथ देखभाल और संवेदनशील तरीके से व्यवहार किया जायेगा, जिसमें साक्षात्कार तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि "बच्चों के अंदर का तनाव कम हो सके।"

उन्होंने विशेष रूप से सिफारिश की है कि बच्चों से उचित व्यवहार करने के लिए अन्वेषक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और हर अन्वेषक को बच्चे के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। न्याय प्रक्रिया के दौरान अन्वेषक को बच्चे के साथ जितना संभव हो सके साक्षात्कार के पुनरावृत्ति से बचना चाहिए।"

वर्तमान मामले में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा वर्दी में बच्चों से बार-बार पूछताछ कि गयी, वो भी उनके माता-पिता की उपस्थिति के बिना, जो बच्चों में दहशत पैदा कर सकता है।

भारतीय कानून बाल गवाहों के मुद्दे को कैसे संबोधित करते हैं?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के तहत एक गवाह के लिए न्यूनतम आयु तय नहीं की गयी है। तीन साल से छोटे बच्चों को भी यौन शोषण के मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाही देने के लिए रखा गया है। आमतौर पर मुकदमे के दौरान, बाल गवाह की गवाही दर्ज करने से पहले, अदालत तर्कसंगत जवाब देने की उनकी क्षमता के आधार पर उसकी क्षमता का निर्धारण करती है।

एक बच्चे से आमतौर पर उनके नाम, जिस स्कूल में वे पढ़ते हैं और उनके माता-पिता के नाम उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बच्चा बहुत छोटा है और वह सच बोलने की शपथ लेने के महत्व को नहीं समझता - जो गवाही से पहले प्रत्येक गवाह को दिया जाता है - न्यायाधीश या कर्मचारी बच्चे को समझाते हैं कि उसे सच बोलना चाहिए।

मुख्य रूप से बाल यौन शोषण के मामलों में गवाहों के रूप में बच्चों को शामिल किया जाता है। अन्य आपराधिक मामलों में जहाँ बच्चों की गवाही उन मामलों में की जाती है जिसमें बच्चों की उपस्थिति में किसी एक माता या पिता घरेलू हिंसा से पीड़ित होते हैं।

क्या अदालत इस पर ध्यान देता है कि कैसे बाल गवाहों से व्यवहार किया जाए?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों के सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। एक कमजोर गवाह को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

मुख्य रूप से अदालत में दर्ज की गई गवाही देने वाले बाल गवाहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हैं, जहाँ बच्चों के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशील और उचित व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। दिशानिर्देश कहते हैं कि "औपचारिक और प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने की लंबी प्रक्रिया कमजोर गवाहों के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित कर सकती है।"

2016 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे काफी संवेदनशील होते हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक जाँच के बाद ही गवाही पर विचार किया जाना चाहिए।

बच्चों की पूछताछ से संबंधित कानून क्या हैं?

जेजे अधिनियम: देश में बच्चों से संबंधित प्राथमिक कानून किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है। अधिनियम विशेष रूप से बच्चों को गवाहों के रूप में पूछताछ या साक्षात्कार से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, अधिनियम की प्रस्तावना कहती है कि "बच्चों के हित में मामलों के निपटान में बाल-सुलभ दृष्टिकोण" का पालन किया जाना चाहिए।

इसका मतलब है कि किशोर न्याय प्रणाली से संबंधित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करना - उदाहरण के लिए, पुलिस बच्चों के साथ व्यवहार करते समय वर्दी में नहीं हो। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चों का साक्षात्कार पुलिस की विशेष इकाइयों द्वारा किया जाए जो उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित हो।

अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक जिले और शहर में राज्य सरकार द्वारा एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी करेंगे, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं होंगे और दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला हो और दोनों के पास बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। उनके काम में बच्चों के संवेदनशील उपचार के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना शामिल है। अधिनियम में प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति का भी प्रावधान है।

POCSO अधिनियम: किशोर न्याय अधिनियम के अलावा, बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 में गवाहों के रूप में बच्चों के साक्षात्कार के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश दि गए हैं। हालाँकि यह बाल यौन उत्पीड़न पीड़ितों से संबंधित है, लेकिन बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह दिशानिर्देश उन सभी बच्चों के लिए एक रूपरेखा है, जिन्हें पुलिस द्वारा गवाह के रूप में साक्षात्कार लिया जा रहा है।

अधिनियम में कहा गया है कि साक्षात्कार सुरक्षित, तटस्थ, बच्चों के अनुकूल वातावरण में आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें उन्हें घरों में किए जाने की अनुमति भी शामिल है। इसके अनुसार, एक बच्चे को कई बार प्रश्न में घटना को याद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिनियम एक सहायक व्यक्ति के लिए भी अनुमति देता है, जो काउंसलिंग में प्रशिक्षित हो, ताकि वह बच्चे का तनाव कम कर सके।

2018 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने सहपाठी के कथित यौन शोषण के एक मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए पुलिस को तीन साल के बच्चे को बार-बार थाने में बुलाने के लिए फटकार लगाई थी, इस मामले में स्कूल ट्रस्टी आरोपी था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार पर 1989 में हुए सम्मेलन के दिशा निर्देशों का भारत 1992 से एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में गवाहों की न्यूनतम आयु तय की गई है।
3. बाल यौन अपराध संरक्षण (POSCO) अधिनियम, 2012 के तहत् बच्चों को गवाह के रूप में साक्षात्कार उनके घर पर भी किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:

1. India has been a signatory to the guidelines of the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1989 since 1992.
2. The Indian Evidence Act, 1872 has determined the minimum age for witnesses.
3. Under the Protection of Children from Sexual Offenses (POSCO) Act, 2012, children can also be interviewed as witnesses at their home.

Which of the above statements is / are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 2

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 15 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "अपराध की पुष्टि में गवाही एक अहम साधन है, किंतु इसमें बच्चों द्वारा दी जाने वाली गवाही कई नियम-विनियमन से आबद्ध होती है।" भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल गवाही के लिए मौजूद प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

"witnesses is an important tool in the confirmation of a crime, but the testimony given by the children is attached by many rules and regulations." Critically analyze the provisions for child witnesses in India as well as internationally. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।